रिफण्ड पुन: जारी कराने के संबंध में प्रश्नोत्तर

रिफण्ड पुन: जारी करने के आवेदन के लिए प्रक्रिया:

1. आपके यूज़र आईडी एंव पासवर्ड की सहायता से www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2. My Account → Refund Reissue Request पर जाएं।
3. नीचे दिया गया स्क्रीन नज़र आएगा, आपको आवश्यक विवरण भरने होंगे एवं सब्मिट बटन पर क्लिक करना होगा।

   <u>रिफण्ड रिइश्यू स्क्रीन</u>

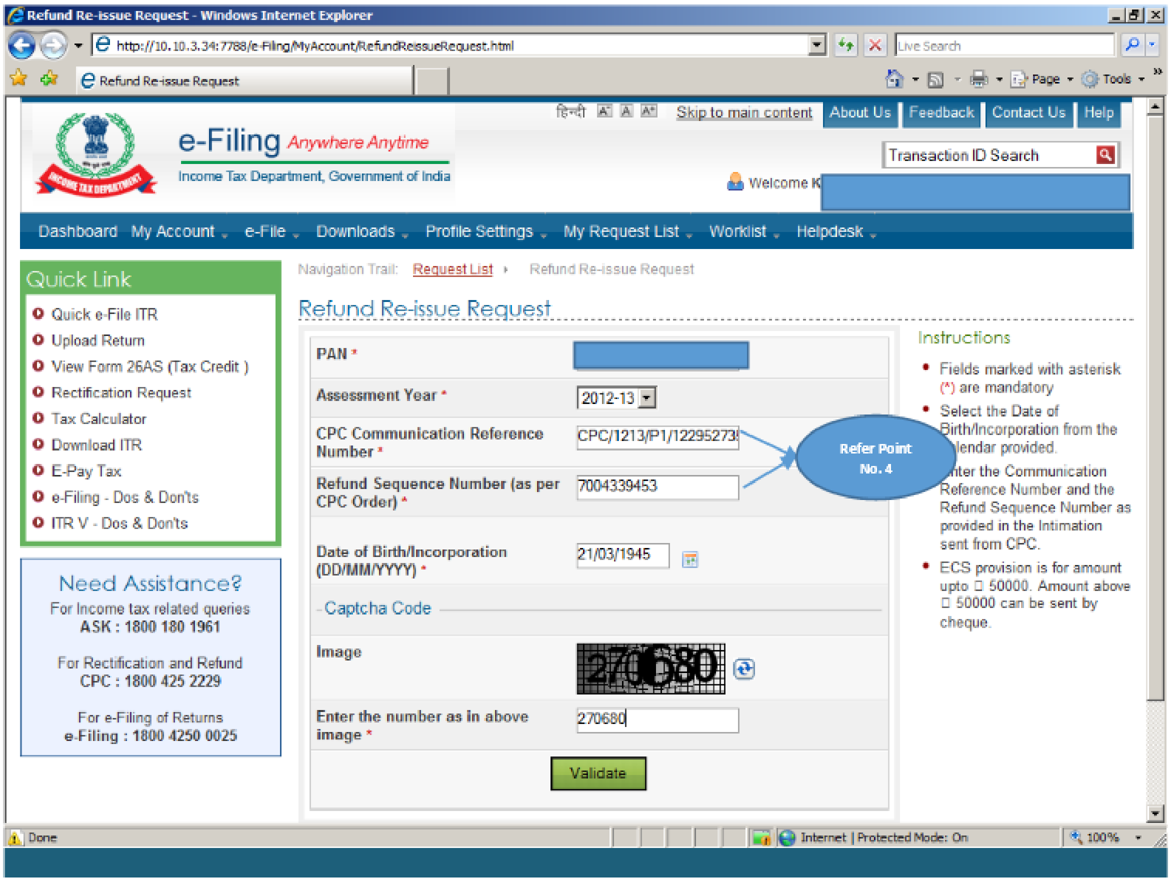

4. कृपया नीचे दिए गए चित्र को देखें जिसमें <u>आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1)/154 के अधीन आदेश में सीपीसी संदर्भित संख्या एवं रिफण्ड क्रम सं. देखी जा सकती है।</u>

Intimation Pictorial Representation:

CPC Reference No

Refund Sequence No

नाम ऑर पता **Name & Address**		पत्र संदर्भ संख्या Communication Reference No. CPC/1011/P2/xxxxxxxxx प्रतिदाय अनुक्रम संख्या Refund Sequence No.:xxxxxxxxxx	
		स्थायी खाता संख्या **PAN**	निर्धारण वर्ष **A.Y.**
लिंग **Gender**	आई टी आर प्रकार **ITR Type**	आदेश की तिथि **Date of Order:**	
प्रास्थिति **Status**	***Return filed under section <<139(1)>>***	इ फाइलिंग पावती संख्या ***E-Filing Acknowledgement No:***	
आवासीय स्थिति ***Residential status***		मूल विवरणी दाखिल करने की देय तिथि **Due Date for Filing Original Return**	विवरणी दाखिल करने की तिथि ***Date of Filing Return***

5. रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए निर्धारिती के पास दो विकल्प होते हैं- ECS अथवा पेपर ।

6. **ECS Mode:** रिफण्ड पुन: जारी करने का तरीका सेलेक्ट करें, बैंक खाते के विवरण को आवश्यकता पड़ने पर बदला जा सकता है, वर्ग, सब्मिट पर क्लिक करें।

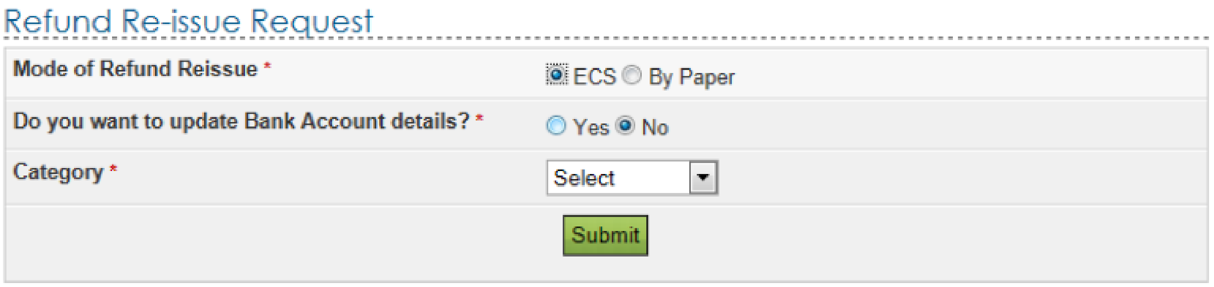

7. **पेपर Mode:** यदि निर्धारिती Paper mode के माध्यम से रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए विकल्प देता है तो निर्धारिती को उनके द्वारा सेलेक्ट किए गए पते पर चेक के माध्यम से रिफण्ड प्राप्त हो सकता है।

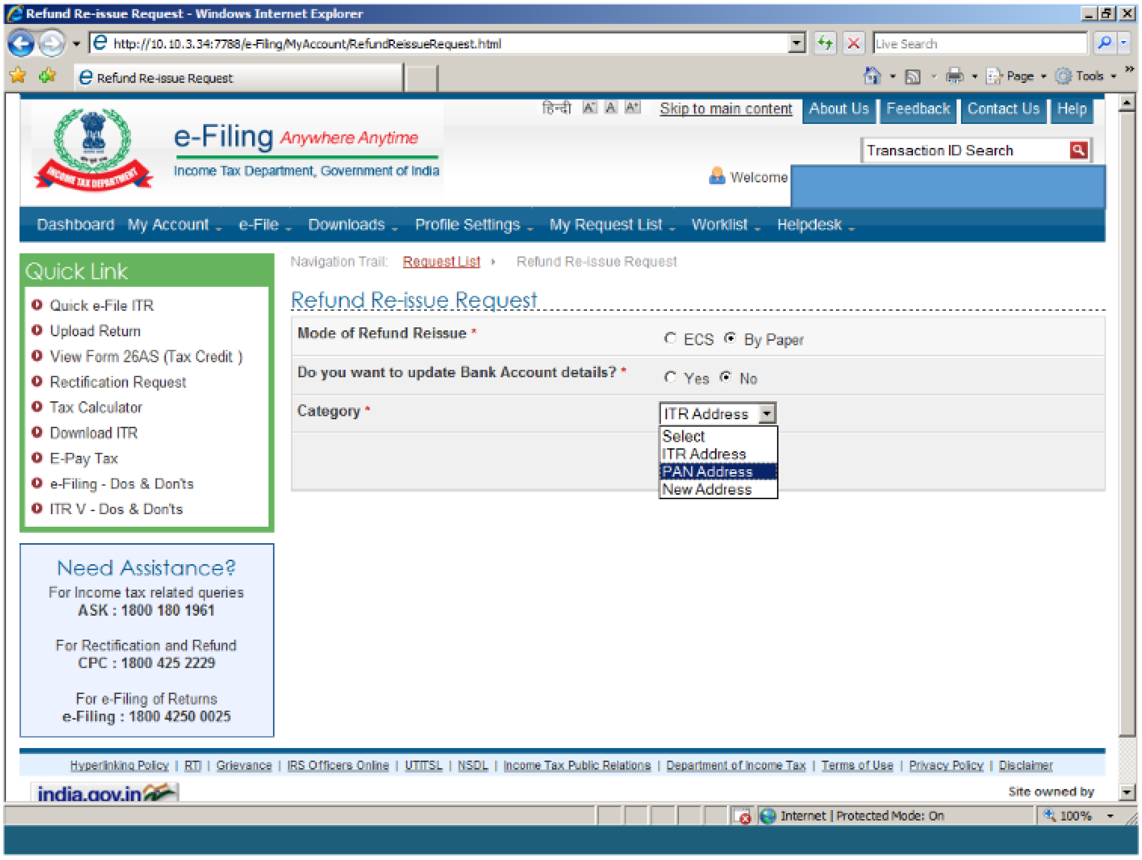

8. निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए सीपीसी को पत्र के माध्यम से सूचित करना होगा।
9. सीपीसी में प्रोसेस किए गए पेपर रिटर्नों के रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए सीपीसी को सीधे रेसपांस के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।
10. कृपया ध्यान दें कि निर्धारण वर्ष 2013-14 से निर्धारिती को रिफण्ड हेतु MICR Code के स्थान पर IFSC code देना होगा।
11. निम्नलिखित सारणी में सीपीसी में रिफण्ड प्राप्त न होने के संबंध में कारण एवं उनके लिए समाधान दिए गए हैं:

क्र.सं.	रिफण्ड न मिलने के कारण	समाधान
1	चेक भुनाने की अवधि पूरी हो चुकी हो	आपके रिफण्ड चेक की अवधि पूरी हो चुकी है। रिफण्ड दुबारा जारी कराने के लिए आपको अपने रिफण्ड के दावे के साथ दुबारा आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है। रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही Online आवेदन देना होगा।
2	गलत खाता संख्या	आपके द्वारा दिया गया खाता संख्या गलत था। आपके रिफण्ड के दावे हेतु रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए सही खाता संख्या देने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है। रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही Online आवेदन देना होगा।
3	यदि मकान बंद पाया गया हो तब	मकान बंद पाए जाने के कारण प्रेषित रिफण्ड का चेक वापस लौटा दिया गया। आपसे अनुरोध है कि अपने रिफण्ड के दावे हेतु रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए आवेदन दें। रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही Online आवेदन देना होगा।

4	यदि व्यक्ति ने घर बदल लिया हो तो	संबंधित व्यक्ति दिए गए पते पर उपलब्ध नहीं था इसलिए प्रेषित रिफण्ड का चेक वापस लौटा दिया गया। आपसे अनुरोध है कि नए पते को अद्यतन करते हुए अपने रिफण्ड के दावे के लिए रिफण्ड हेतु पुन: आवेदन दें। रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही Online आवेदन देना होगा।
5	ऐसा कोई पता नहीं है	आपके द्वारा दिया गया पता गलत होने की वजह से प्रेषित रिफण्ड का चेक वापस लौटा दिया गया। आपसे अनुरोध है कि नए पते को अद्यतन करते हुए अपने रिफण्ड के दावे के लिए रिफण्ड हेतु पुन: आवेदन दें। रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही Online आवेदन देना होगा।
6	ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है	दिए हुए पते पर संबंधित व्यक्ति के उपलब्ध न होने की वजह से प्रेषित रिफण्ड का चेक वापस लौटा दिया गया। आपसे अनुरोध है कि अपने रिफण्ड के दावे हेतु रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए आवेदन दें। रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही Online आवेदन देना होगा।
7	MICR Code गलत था अथवा/नहीं दिया गया	आपके द्वारा दिया गया MICR Code गलत था अथवा नहीं दिया गया था। आपसे अनुरोध है कि अपने रिफण्ड के दावे हेतु सही MICR Code देकर रिफण्ड के दुबारा जारी कराने हेतु आवेदन दें। ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन कर Online के जरिए रिफण्ड दुबारा जारी करने के लिए आवेदन दिया जा सकता है।
8	खाता बंद कर दिया गया है	आपके द्वारा प्रदान किया गया खाता संख्या बंद है। आपसे अनुराध है कि अपने रिफण्ड के दावे हेतु नया खाता संख्या देकर रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए आवेदन दें। रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही Online आवेदन देना होगा।
9	खाते के विवरण गलत हैं	आपके द्वारा प्रदान किया गया खाता विवरण गलत है। आपसे अनुरोध है कि अपने रिफण्ड के दावे हेतु सही खाता विवरण अथवा नया खाता संख्या देकर पुन: रिफण्ड हेतु आवेदन दें। ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन कर Online के जरिए रिफण्ड दुबारा जारी करने के लिए आवेदन दिया जा सकता है।
10	अन्य	यदि जारी न किए जाने का कारण "अन्य" दर्शाया गया हो, तो कृपया निम्नलिखित विवरण देखें तथा तदनुसार उत्तर दें: 1. प्रेषण के लिए दिया गया पता विदेशी पता है: हमारे अभिलेखों से पता लगा है कि आपने अनुरोध किया है कि रिफण्ड चेक विदेशी पते (आपके द्वारा फाइल की गई आयकर विवरणी में) पर प्रेषित किया जाए। अत: आपसे अनुरोध है कि एक मान्य भारतीय पता दें। रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही Online आवेदन देना होगा। 2. व्यक्ति का निधन हो गया है तथा खाते को रोक दिया गया है। एक निर्धारिती के निधन के मामले में विधिक उत्तराधिकारी निम्नलिखित कदम उठा सकता है: • सीपीसी से अनुरोध करें तथा इस संबंध में सीपीसी से उत्तर की प्रतीक्षा करें।

		• सूचना प्राप्त होने पर संबंधित साक्ष्य सहित क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से संपर्क करें। • जाँच के बाद यदि क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी विधिक उत्तराधिकारी के दावे को मान लेते हैं, तो आपके बैंक खाते में रिफण्ड जमा हो जाएगा। 3. अदालत/आयकर द्वारा खाते की कुर्की की गई है। 4. खाता धारक की KYC लंबित है। 5. चालू खाता अथवा बचत बैंक खाता के अलावा अन्य खाता विवरण दिया गया है। 6. नाबालिक निर्धारिती वस्यक हो गया है तथा नए सिरे से खाते का नवीकरण लंबित है। उपर्युक्त 1, 3, 4, 5, 6 एवं अन्य किसी कारण हेतु जो ऊपर नहीं दिया गया हो, और विवरण के लिए कृपया SBI Call Center 18004259760 पर संपर्क करें।
11	अनिवार्य फील्ड न हों, तो: (खाता संख्या/खाते का नाम/खाते की किस्म/पता/ शहर/राज्य/पिनकोड	आपके द्वारा खाता संख्या, खाता नाम, खाते की किस्म, पता लाइन 1, शहर, पिनकोड जैसे अनिवार्य फील्ड नहीं दिए गए थे। आपसे अनुरोध है कि आपके अपने रिफण्ड के दावे के लिए उक्त अनिवार्य फील्ड का विवरण देकर रिफण्ड पुन: जारी कराने के लिए आवेदन दें। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।
12	गलत खाता संख्या	आपके द्वारा दिया गया खाता संख्या गलत था। अपने रिफण्ड के दावे हेतु रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए सही खाता संख्या देने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।
13	अमान्य खाता संख्या	आपके द्वारा दिया गया खाता संख्या अमान्य है। अपने रिफण्ड के दावे हेतु रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए सही खाता संख्या देने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।
14	अमान्य खाता संख्या: 2 विशेष कैरेक्टर के मध्य कम से कम एक वर्ण/संख्या होनी चाहिए।	आपके द्वारा दिया गया खाता संख्या अमान्य है। अपने रिफण्ड के दावे हेतु रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए सही खाता संख्या देने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।
15	अमान्य खाता संख्या: खाता संख्या में पहला कैरेक्टर केवल वर्ण/संख्या होनी चाहिए	आपके द्वारा दिया गया खाता संख्या अमान्य है। अपने रिफण्ड के दावे हेतु रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए सही खाता संख्या देने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।
16	अमान्य खाता संख्या: खाता संख्या के अंतिम कैरेक्टर के स्थान पर एक संख्या होनी चाहिए	आपके द्वारा दिया गया खाता संख्या अमान्य है। अपने रिफण्ड के दावे हेतु रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए सही खाता संख्या देने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।
17	अमान्य खाता संख्या: वर्णों अथवा विशेष कैरेक्टर के	आपके द्वारा दिया गया खाता संख्या अमान्य है। अपने रिफण्ड के दावे हेतु रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए सही खाता संख्या देने के लिए आपसे

	मध्य संख्यात्मक पंक्ति में सभी शून्य नहीं हो सकते	अनुरोध किया जाता है। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।
18	खाता संख्या में अमान्य कैरेक्टर	आपके द्वारा दिया गया खाता संख्या अमान्य है। अपने रिफण्ड के दावे हेतु रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए सही पता देने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।
19	खाता संख्या में अमान्य कैरेक्टर अथवा बहुत लंबा पता	आपके द्वारा दिया गया पता बहुत लंबा था। अपने रिफण्ड के दावे हेतु रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए सही खाता संख्या देने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।
20	खाता संख्या में अमान्य कैरेक्टर अथवा नाम बहुत छोटा था	आपके द्वारा दिए गए खाता संख्या में अमान्य कैरेक्टर अथवा नाम बहुत छोटा था। आपसे अनुरोध है कि सही खाते का नाम देते हुए अपने रिफण्ड के दावे के लिए रिफण्ड हेतु पुन: आवेदन दें। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।
21	खाता संख्या में कोई संख्यात्मक अंक नहीं	आपके द्वारा दिया गया खाता संख्या अमान्य है। अपने रिफण्ड के दावे हेतु रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए सही पता देने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।
22	अमान्य IFSC code	आपके द्वारा प्रदान किया गया IFSC code अमान्य था। आपके अनुरोध है कि सही खाता संख्या देते हुए अपने रिफण्ड के दावे के लिए रिफण्ड हेतु पुन: आवेदन दें। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।
23	बैंक खाता धारक के साथ नाम मेल नहीं खाना	आपके द्वारा प्रदान किया गया खाता संख्या में नाम मेल नहीं खा रहा था। आपके अनुरोध है कि सही खाता संख्या अथवा नाम देते हुए अपने रिफण्ड के दावे के लिए रिफण्ड हेतु पुन: आवेदन दें। रिफण्ड पुन: जारी करने के लिए Online आवेदन ऊपर दी गई प्रक्रिया द्वारा ही करना होगा।